झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(पेयजल (स्व०) 8/JJM(WQ SM)— 101/2021 (पार्ट-I)) दिनांक :- 12/8/22

ज्ञापांक:— 48 (M)

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से पत्रांकित

महालेखाकार,
झारखण्ड, डोरण्डा, राँची।

द्वारा— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:—वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022—23 में केन्द्र प्रायोजित "जल जीवन मिशन" (JJM) के तहत राष्ट्रीय जल गुणवत्ता एवं अनुश्रवण (WQMS) के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, रामगढ़ के अधीन जिला स्तरीय जल जाँच प्रयोगशाला के Modernization/ Up gradation हेतु केन्द्रांश से रू॰ 2.84617 लाख तथा राज्यांश से रू॰ 1.89745 लाख अर्थात कुल राशि रूपये 4.74362 लाख (चार लाख चौहत्तर हजार तीन सौ बासठ रूपये) व्यय की स्वीकृति के संबंध में (यथा संलग्न विवरणी)।

आदेश :— स्वीकृत।

1. जलशक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार के द्वारा दिसम्बर, 2019 में केन्द्र प्रायोजित NRDWP के स्थान पर जल जीवन मिशन (JJM) योजना प्रारम्भ की गई। जल जीवन मिशन की प्रख्यापित मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ष—2024 तक प्रत्येक घर को Functional Household Tap Connection (FHTC) से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। इसी क्रम में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पूर्ण आबादी को पाईप जलापूर्ति के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सतही जल स्रोत आधारित वृहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं भूगर्भीय जल आधरित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जा रहा है।
2. BIS:10500 की स्वच्छता के अनुरूप शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्यांतर्गत प्रयोगशाला के Modernization/ Upgradation हेतु Water Quality Monitoring & Surveillance (Up to 2% of JJM Fund) अंतर्गत Modernization/ Upgradation of Labs मद से व्यय का वहन केन्द्रांश एवं राज्यांश से 60:40 के अनुपात में किया जायेगा।
3. इस योजना के कार्यान्वयन में निम्न निदेशों का पालन दृढ़ता से किया जायेगा :—

   (i) प्रयोगशाला के Modernization/ Upgradation हेतु आपूर्ति सामग्रियों का भंडारण एवं संधारण उचित पंजी में की जायेगी।

   (ii) योजना का क्रियान्वयन में JJM की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।

   (iii) योजना का क्रियान्वयन PWD में निहित सुसंगत धाराओं का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
4. प्रस्तुत स्वीकृत्यादेश में जिला स्तरीय प्रयोगशाला के Modernization/ Upgradation हेतु निम्न वर्णित प्राक्कलन पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर, जिसकी राशि रू॰ 4.74362 लाख है, प्रशासनिक स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

क्रम सं॰	प्रमंडल का नाम	प्राप्त प्राक्कलन	प्रयोगशाला का नाम	T.S Amount (In Lakh)
1	रामगढ़	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, रामगढ़ का पत्रांक 321 दिनांक 28.03.2022	जिला स्तरीय जल जाँच प्रयोगशाला रामगढ	4.74362
			कुल	4.74362

5. उक्त वर्णित कण्डिकाओं के आलोक वित्तीय वर्ष 2022–23 में "जल जीवन मिशन" (JJM) अंतर्गत **Water Quality Monitoring & Surveillance (Up to 2% of JJM Fund)** अंतर्गत **Modernization/ Upgradation of Labs** मद के अधीन पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, रामगढ़ के अधीन जिला स्तरीय जल जाँच प्रयोगशाला के **Modernization/ Up gradation** हेतु केन्द्रांश से **रू॰ 2.84617** लाख तथा राज्यांश से **रू॰ 1.89745** लाख अर्थात कुल राशि रूपये 4.74362 लाख (चार लाख चौहत्तर हजार तीन सौ बासठ रूपये) व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। **(Annexure-1)**
6. JJM अन्तर्गत केन्द्रांश/राज्यांश की स्वीकृत राशि का व्यय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि (केन्द्रांश) एवं राज्यांश की राशि 60:40 के अनुपात में बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड उच्च न्यायालय शाखा के खाता सं॰–495810110001444 में प्राप्त/जमा राशि से किया जायेगा।
7. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ होंगे, जो स्वीकृत राशि के विरुद्ध केन्द्रांश/राज्यांश की राशि की निकासी बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड उच्च न्यायालय शाखा द्वारा PFMS के माध्यम से करेंगे। कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि की निकासी एवं व्यय, प्राधिकार पत्र में अंकित राशि के अधीन करेंगे। तदनुसार इससे संबंधित व्यय प्रतिवेदन बैंक एवं PMU को प्रतिवेदित करेंगे।
8. (i) योजना के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक, पी॰एम॰यू॰ होंगे।
   (ii) JJM & PWD Code के प्रावधानों के साथ–साथ योजना शुद्ध जल से जुड़ी है, इसके अधिष्ठापन तथा गुणवत्ता को 100% ensure करने के लिये अंतिम भुगतान के पूर्व सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता संयुक्त रूप से जाँच कर संतुष्ट होने के उपरान्त अंतिम भुगतान करेंगे।
   (iii) पेयजल एवं स्वछता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निहित पत्र सं0 DD-NO. WQ-11021/1/2020-WQ-DDWS-part(1) dated-03/08/2020 के कंडिका 1 एवं 4 तथा पत्रांक WQ-11021/1/2020-WQ-DDWS/19 DATED 09 November 2020 के दिशा निर्देश का अनुसरण हेतु राज्य के सभी जल जाँच प्रयोगशालाओं के NABL मान्यता प्राप्त किया जाना है। जिसके तहत् स्वीकृति आदेश निर्गत की जा रही है।

(iv) जिला स्तरीय/अवर प्रमंडल स्तरीय जल जल जाँच प्रयोगशालाओं को NABL मान्यता से संबंधित आवश्यकताओं का आकलन करते हुए Modernization/upgradation का कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत राशि के अधीन ही योजना के तहत कार्य करायेंगे। किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक का कार्य नहीं कराया जायेगा। स्वीकृत राशि से अधिक कार्य से उद्भूत किसी भी वित्तीय दायित्व के भुगतान की जवाबदेही कार्यपालक अभियंता की होगी।

10. संबंधित कार्यपालक अभियंता योजना की मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति JJM मार्गदर्शिका के अनुसार भारत सरकार का Website- www.ejalshakti.gov.in पर Entry करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि IMIS पर अंकित सूचना प्रामाणिक (authentic) हो। साथ ही कार्यपालक अभियंता मासिक रूप से वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन PMU एवं विभाग को समर्पित करेंगे।

11. झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 नियम 174 का शक्ति से पालन किया जायेगा।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक–301 दिनांक–11.03.2015 के क्रम में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा रही है।

14. **यह आवंटनादेश नहीं है। इसके लिए अलग से प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।**

अनु.: स्वीकृत योजनाओं की विवरणी।

(प्रशान्त कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 48(M) दिनांक– 1/8/22

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. संबंधित आयुक्त/उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार /मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक, (पी०एम०यू०)/अवर सचिव, (IMIS/प्रशाखा–8)/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्र, राँची/अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता (WQ), पी.एम.यू./कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इंडिया, झारखण्ड उच्च न्यायालय शाखा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. राज्य समन्वयक (IT) SPMU को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु.: स्वीकृत योजनाओं की विवरणी।

(प्रशान्त कुमार)
सरकार के सचिव

Government of Jharkhand
Drinking Water and Sanitation Department
Modernization and Upgradation of District lab of Jharkhand under JJM (WQMS)
2022-2023

List of District Labs under WQMS fund sanctioned for Modernization and Upgradation

(Amount in Lakh)

Sl. No.	Division	Name of Laboratory	T.S. Amount	Sanctioned Amount		
				C.S	S.S	Total
1	Ramgarh	Dist. Lab Ramgarh	4.74362	2.84617	1.89745	4.74362
Grand Total			4.74362	2.84617	1.89745	4.74362

08/08/22

Prashant Kumar
Secretary, DW&SD